<u>प्रकाशनयोग्य</u>

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>सिविल अपील संख्या 9832 वर्ष 2018</u>

(एस.एल.पी. संख्या (सी)25965/2018 से उद्भूत)

(डायरी संख्या 30368 वर्ष 2018)

दि मैनेजमेंट औफ रीजनल

चीफ इन्जिनियर पी.एच.ई.डी. रांची .... अपीलकर्तागण

बनाम

देयर वर्कमेन रेप्रेज़ेन्टेड बाइ

डिस्ट्रिक्ट सेक्रेट्री .... उत्तरवादीगण

श्रम विधियाँ:

बकाया वेतन/पिछला वेतन - कब दावा किया जा सकता है - निचली अदालतों ने कामगारों को वापस काम पर रखने का निर्देश देते हुए पूरा बकाया वेतन देने का आदेश दिया - अभिनिर्धारित : यदि किसी कामगार को बहाल कर दिया गया है तो उसे पिछला वेतन मांगने का कोई अधिकार नहीं है - कामगार के लिए यह अभिवचन करना और साबित करना आवश्यक है कि वह लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था - नियोक्ता भी अन्यथा साबित करने के लिये हक़दार है - हालांकि, शुरुआती भार कामगार पर है - पूरा पिछला वेतन देने के लिए निचली अदालतों के निर्देश से नियोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है - संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में, न्याय के हित में, कुल पिछले वेतन का 50% दिया जाता है - साक्ष्य - साबित करने का भार - भारत का संविधान - अनुच्छेद 142 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 25 च ।

अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. किसी कामगार को अपने नियोक्ता से अधिकार के रूप में पिछले वेतन का दावा करने का कोई अधिकार केवल इस कारण नहीं है कि न्यायालय ने उसके पक्ष में उसकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है और उसे सेवा में पुनः बहाल करने का निर्देश दिया है। ऐसे मामलों में कामगार के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की सहायता से यह अभिवचन करे और साबित करे कि सेवा से उसकी बर्खास्तगी के बाद वह कहीं भी लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था और उसके पास अपना और/या अपने परिवार का पोषण करने के लिए कोई आमदनी नहीं था। नियोक्ता भी कर्मचारी के विरुद्ध इसे अन्यथा साबित करने का हकदार है, अर्थात, यह कि कर्मचारी प्रासंगिक अवधि के दौरान लाभकारी रूप से नियोजित था और इसलिए किसी भी पिछले वेतन का दावा करने का हकदार नहीं है। हालाँकि शुरुआती भार कर्मचारी पर है। [पैरा 11 और 12] [762-जी-एच; 763-ए-बी]

2. **न्यायालय पूरा का पूरा पिछला वेतन देने से इनकार कर सकता है, जबकि कुछ मामलों में वह तथ्यों और साक्ष्य के आलोक में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर आंशिक वेतन दे सकता है। [पैरा 13] [763-बी]**
3. **न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह विभिन्न कारकों को ध्यान में रखे और फिर इस संबंधमें एक निष्कर्ष अभिलिखित करे कि क्या यह पिछला वेतन देने के लिए उपयुक्त मामला है और यदि हां तो किस विस्तार तक। प्रस्तुत मामले में न तो श्रम न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने विधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखा। इसी प्रकार, कार्यवाही के किसी भी पक्षकार ने न तो अभिवचन किया और न ही कोई साक्ष्य पेश किया जिससे कि बकाया वेतन देने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण तथ्यों को साबित किया जा सके जिससे न्यायालय बकाया वेतन दिलाने में सक्षम हो सके। [पैरा 14 और 15] [763-ई-जी]**
4. **कामगार को पूरा बकाया वेतन देने के निचली न्यायालयों के निर्देश से अपीलकर्ता (नियोक्ता) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संबंधित पक्षकारों को सारवान न्याय प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में, इन 37 कामगारों को सम्पूर्ण बकाया वेतन का 50% देना न्यायसंगत और उचित और न्याय के हित में होगा। [पैरा 18, 19 और 20] [764-सी-ई]**

एम.पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम जरीना बी(श्रीमती) ***(2003) 6एस.सी.सी. 141 : [2003]*** *1 अनुपूरक एस.सी.आर. ; जी.एम. हरियाणा रोडवेज बनाम रुधन सिंह* ***(2005) 5 एस.सी.सी. 591 : [2005]*** *1 अनुपूरक एस.सी.आर.* ***569; यू.पी. स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन बनाम उदय नारायण पांडे (2006)*** *1* ***एस.सी.सी. 479 : [2005] 5*** *अनुपूरक एस.सी.आर. 609; जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम के.पी. अग्रवाल एवं अन्य* ***(2007) 2 एस.सी.सी. 433 : [2007] 2 एस.सी.आर. 60;*** *मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम वी. वेंकटेशन* ***(2009) 9 एस.सी.सी. 601 : [2009] 12 एस.सी.आर. 583;*** *जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं अन्य* ***(2009) 15 एस.सी.सी.***

327) : [2009] 10 एस.सी.आर. 908; *दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी.एड.) और अन्य* ***(2013) 10 एस.सी.सी 324 : [2013] 9 एस.सी.आर.*** *1 - पर भरोसा किया गया।*

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[2003] 1 अनुपूरक एस.सी.आर. 535 पैरा 13 पर निर्भर करता है

[2005] 1 अनुपूरक एस.सी.आर. 569 पैरा 13 पर निर्भर करता है

[2005] 5 अनुपूरक एस.सी.आर. 609 पैरा 13 पर निर्भर करता है

[2007] 2 एस.सी.आर. 60 पैरा 13 पर निर्भर करता है

[2009] 12 एस.सी.आर. 583 पैरा 13 पर निर्भर करता है

[2009] 10 एस.सी.आर. 908 पैरा 13 पर निर्भर करता है

[2013] 9 एस.सी.आर. 1 पैरा 13 पर निर्भर करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 9832/2018

एल.पी.ए. संख्या 484/2008 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 02.02.2017 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता कि ओर से अतुलेश कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से अभिजीत सिन्हा, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया। 1. मंजूरी दी गई।

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के एल.पी.ए संख्या 484/2008 में दिनांक 02.02.2017 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और डब्ल्यूपी(एल) संख्या 3962/2006 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.07.2008 के आदेश को बरकरार रखा।

3. इस अपील के निष्पादन के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि इस में एक छोटा मुद्दा शामिल है।

4. इस अपील में वह विचारणीय छोटा प्रश्न यह है कि क्या निचली अदालतें नामतःउच्च न्यायालय और श्रम न्यायालय, वर्कमैन यूनियन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 37 कामगारों को बर्ख़ास्त किए जाने के आदश कों औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद " आई.डी अधिनियम " के रूप में संदर्भित) की धारा 25- एफ का उल्लंघन करने के कारण कानून गलत मानते हुए रद्द किए जाने और नतीजतन, इन कामगारों को उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) में अपीलकर्ता की सेवाओं में बहाल करने का निर्देश दिये जाने के साथ उन्हें पिछली मज़दूरी का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा किये जाने का निर्देश देना न्यायसंगत है।

5. अपीलकर्ता झारखंड राज्य का विभाग [लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी)] है, जबकि प्रतिवादी लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में कार्यरत श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला श्रमिक संघ है।

6. राज्य ने प्रतिवादी संघ के अनुरोध पर निम्नलिखित विवाद का निर्णय करने के लिए औद्योगिक श्रम अधिनियम की धारा 10 के तहत श्रम न्यायालय, रांची को एक संदर्भ दिया:

> **“क्या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डिवीज़न पूर्वी रांची (पी.एच.इ.डी.विभाग,झारखंड)द्वारा कार्य प्रभारित स्थापना में अनुसूची “के” में उल्लि खित 37 कार्यवाहक दैनिक वेतन भोगी हस्तराशिद कर्मचारियों की की गई बर्खास्तगी और गैर-आमेलन विधिपूर्ण है ? यदि नहीं, तो किन दूसरे परितोष के यह कर्मचारी हक़दार हैं ?**

7. दिनांक 29.06.2005 के पंचाट (अवार्ड) (अनुलग्नक पी-1) 2002 के संदर्भ वाद संख्या 6 में श्रम न्यायालय ने उत्तरवादी यूनियन के पक्ष में संदर्भ का उत्तर दिया तथा 37 कामगारों को पूर्ण बकाया वेतन के भुगतान के साथ बहाल करने का निर्देश दिया।

8. अपीलकर्ता (नियोक्ता) ने श्रम न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 08.07.2008 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया और श्रम न्यायालय द्वारा पारित फैसले की पुष्टि की।

9. एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अंतर-न्यायालय अपील दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया तथा एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिस से यह अपील विशेष अनुमति के माध्यम से अपीलकर्ता-नियोक्ता द्वारा दायर की गई।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, हमारा झुकाव अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने तथा आक्षेपित आदेश में तरमीम करते हुए, श्रमिकों को पूर्ण वेतन के स्थान पर 50% पिछला वेतन देने के पक्ष में हैं।

11. हमारी सुविचारित राय में, निचली अदालतें यह देखने में पूरी तरह विफल रहीं कि न्यायालय द्वारा कर्मचारी की बर्खास्तगी/समाप्ति के आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप कर्मचारी को अधिकार के रूप में पिछला वेतन नहीं दिया जा सकता। दूसरे शब्दों में, किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से केवल इसलिए पिछला वेतन मांगने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि न्यायालय ने उसके पक्ष में उसकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है और उसे सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है।

12. ऐसे मामलों में कामगार के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की सहायता से दलील दे और साबित करे कि सेवा से बर्खास्तगी के बाद, वह कहीं भी लाभकारी रूप से कार्यरत नहीं था और उसके पास खुद या/और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कोई आय नहीं थी। नियोक्ता को कर्मचारी के खिलाफ अन्यथा साबित करने का भी अधिकार है, नामतः, कर्मचारी प्रासंगिक अवधि के दौरान लाभकारी रूप से कार्यरत था और इसलिए किसी भी पिछले वेतन का दावा करने का हकदार नहीं है। हालाँकि, प्रारंभिक भार कर्मचारी पर है।

13. कुछ मामलों में, न्यायालय पूरा का पूरा पिछला वेतन देने से इंकार कर सकता है, जबकि कुछ मामलों में वह तथ्यों और साक्ष्यों के आलोक में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करके प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार

पर आंशिक वेतन दे सकता है। पिछला वेतन कैसे तय किया जाना आवश्यक है, पिछला वेतन देने में किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, प्रारंभिक बोझ किस पर है आदि प्रश्नों पर इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विस्तार से चर्चा की गई थी जिसमें इन प्रश्नों पर कानू तय किया गया है। वास्तव में, यह अब यह अनिर्णत विषय नहीं है। ये मामले हैं, एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम जरीना बी (श्रीमती), (2003) 6 एससीसी 141, जीएम हरियाणा रोडवेज बनाम रुधन सिंह , (2005) 5 एससीसी 591, यूपी स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन बनाम उदय नारायण पांडे, , (2007) 2 एससीसी 433, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम वी. वेंकटेशन , (2009) 9 एससीसी 601, जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य, (2009) 15 एससीसी 327) और दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी.एड) और अन्य, (2013) 10 एससीसी 324.

14. इसलिए, न्यायालय को कई कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो कि उपर्युक्त मामलों में निर्धारित किए गए हैं, और फिर यह निष्कर्ष दर्ज करना है कि क्या यह पिछला वेतन देने के लिए उपयुक्त मामला है और यदि हां, तो किस हद तक।

15. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, हम पाते हैं कि न तो श्रम न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखा। इसी तरह, कार्यवाही में किसी भी पक्ष ने, न तो दलील दी और न ही कोई सबूत पेश किया जिससे कि बकाया वेतन दिए जाने के लिए आवश्यक तथ्यों को साबित किया जा सके और जिससे न्यायालय को बकाया वेतन का आदेश दिए जाने में मदद मिले।

16. दूसरी ओर, हम पाते हैं कि श्रम न्यायालय ने बस एक पंक्ति में अपीलकर्ता (नियोक्ता) को 37 श्रमिकों को लम्बी अवधि का पूरा बकाया वेतन देने का निर्देश देते हुए, उन्हें सेवा में पुनः बहाल करने का भी निर्देश दिया है।

17. हालाँकि, हम पाते हैं कि आदेश के पैरा 9 में उच्च न्यायालय ने दीपाली गुंडू सुरवासे (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया, यह मानने के लिए कि बकाया वेतन का सवाल इस फैसले में ढंका हुआ है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने ऐसा संप्रेक्षण करके गलती की। उसे यह देखना चाहिए था

कि दीपाली गुंडू सुरवासे (सुप्रा) के मामले में ही, इस न्यायालय ने स्वंय उन निर्णयों का उल्लेख किया है, जिनका उल्लेख हमने ऊपर पैरा 13 में किया है और फिर दीपाली गुंडू सुरवासे के पैरा 38 में, इस न्यायालय ने उद्धृत सभी मामलों के निर्णयाधार का इन्तेख़ाब किया है। इसके बाद, दीपाली गुंडू सुरवासे मामले में इस न्यायालय ने मामले में शामिल तथ्यों के आधार पर संबंधित श्रमिकों को राहत दी । हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने दीपाली गुंडू सुरवासे (सुप्रा) में फैसले के निर्णय़ाधआर को इस मामले के तथ्यों पर ठीक से लागू नहीं किया । उन टिप्पणियों को अनुच्छेद 38 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें इस विषय पर सभी केस के कानूनी निर्णयाधार संप्रेक्षित किए गये हैं।

18. इसलिए, हम निचली अदालतों के उस निर्देश से सहमत नहीं हो सकते हैं, जिसमें कामगार को पूरा पिछला वेतन देने का आदेश दिया गया है, जो हमारी राय में, निश्चित रूप से अपीलकर्ता (नियोक्ता) के लिए पक्षपात द्वेष है।

19. तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इन 37 कामगारों को कुल बकाया मजदूरी का 50% प्रदान करना न्यायोचित और उचित तथा न्याय के हित में समझते हैं।

20. हम कामगारों को यह अधिनिर्णय, संबंधित पक्षों के साथ सारवान न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उन कानूनी सिद्धांतों को दोहराते हुए जो बकाया वेतन देने के प्रश्न को नियंत्रित करते हैं, घोषित करते हैं।

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील सफल होती है और आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश को ऊपर बताई गई सीमा तक उपांतरित किया जाता है।

22. इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर उचित सत्यापन के बाद अपीलकर्ता द्वारा उत्तरवादी कामगारों को राशि का निर्धारण और भुगतान किया जाए।

….…….…….न्यायमूर्ति

[अभय मनोहर सप्रे]

.....न्यायमूर्ति

[एस. अब्दुल नजीर]

नई दिल्ली,

20 सितंबर, 2018.

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) के द्वारा किया गया।